संख्या-55/2016/2407/30-3-16-14बी/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 सितम्बर, 2016

विषय- उत्तर प्रदेश के चिन्हित 07 महानगरों (कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं इलाहाबाद) में संचालित सार्वजनिक परिवहन यानों में जीपीएस/जीपीआरएस ट्रैकिंग सिस्टम इमरजेंसी बटन तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिये चयनित परामर्शी संस्था-सी0आई0आर0टी0 को परामर्शी फीस के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1785एसटीए/2016-27एसटीए/2013, दिनॉक 09-09-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चिन्हित 07 महानगरों (कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं इलाहाबाद) में संचालित सार्वजनिक परिवहन यानों में जीपीएस/जीपीआरएस ट्रैकिंग सिस्टम इमरजेंसी बटन तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिये चयनित परामर्शी संस्था-सी0आई0आर0टी0 को परामर्शी फीस के भुगतान हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आगणन के परीक्षणोपरान्त भुगतान हेतु अनुबन्धित शर्त दिनॉक 08-08-2016 के अनुसार 25 प्रतिशत परामर्शी शुल्क के रूप में रू0 9,05,000/- तथा 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स के रूप में धनराशि रू0 1,35,750/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 10,40,750/- (रू0 दस लाख चालीस हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-01-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये प्रावधानित धनराशि रू० 25,000 हजार (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु चयनित परामर्शी संस्था-सी0आई0आर0टी0 से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त कार्य में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त उ0प्र0 का होगा।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-01-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-55/2016/2407(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित परामर्शी संस्था-सी0आई0आर0टी0, नासिक रोड, पुणे, महाराष्ट्र- 411026
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in